

कृषि निदेशालय, हरियाणा पंचकूला

आदेश

निदेशालय के आदेश पृ० क्रमांक 16739-43/स्था०-III(2) दिनांक 15-07-2015 द्वारा पूर्व में जारी आदेश पृ० क्रमांक 21090-92/स्था०-III(2) दिनांक 15-12-2014 को रद्द करते हुए विभागीय मकान नं० डी-1 को श्री पूर्णमल के स्थान पर श्री ओम प्रकाश, कनिष्ठ लेखा परीक्षक को अलॉट किया गया था। अब मामले का पुनः निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि निदेशालय के पत्र क्रमांक 21090-92/स्था०-III(2) दिनांक 15-12-2014 द्वारा श्री पूर्णमल, लिपिक कृषि निदेशालय हरियाणा, पंचकूला को विभागीय मकान नं० डी-1 अलाट करने बारे जारी किए गए आदेश सही है।

अतः निदेशालय द्वारा जारी आदेश पृ० क्रमांक 16739-43/स्था०-III(2) दिनांक 15-07-2015 जिस द्वारा श्री पूर्णमल, लिपिक की बजाए विभागीय मकान नं० डी-1 श्री ओमप्रकाश, कनिष्ठ लेखा परीक्षक को अलॉट किया गया को तुरंत प्रभाव से विद्वां करते हुए यह विभागीय मकान नं० डी-1 श्री पूर्णमल लिपिक को पुनः अलॉट करने के आदेश पारित किए जाते हैं।

दिनांक 17-07-2015

एम० शाईन, आई०ए०एस०
कृषि निदेशक, हरियाणा, पंचकूला।

पृ० क्रमांक: 16763-66 /स्था०-III(2), दिनांक, पंचकूला: 17-07-2015

इसकी एक प्रति निम्नलिखित:-

1. उप अधीक्षक (नकदी व सामान्य)
2. श्री ओम प्रकाश, कनिष्ठ लेखा परीक्षक
3. श्री पूर्णमल, लिपिक

कृषि निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संयुक्त निदेशक (प्रशा०)
कृषि निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला।